फर्द अहकाम

न्यायालय

पांन्ची बनाम श्रीनारायण

मुकदमा संख्या/वर्ष : 110/2000 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	06/2/14	नोटिस का भरपूर प्रतिवादीगण पंड किया जाता है। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिया जाते हैं। पत्रावली बहस अंतिम दिनांक 12/2/14 बाद पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर (सांगानेर)
	12/2/14	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस अंतिम बुनियादी। पत्रावली बाबते निर्णय दिनांक 13/2/14 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर (सांगानेर)
	13/2/14	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस वादी अधिवक्ता का सुना गया। वादपत्र वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रतिवादीगण, साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाने

फर्द अहकाम

न्यायालय

पांन्ची बनाम श्रीनारायण

मुकदमा संख्या/वर्ष : 110/2000

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	योग्य पाए जाने पर वाद बाबत घोषणा, रिफॉर्म डिक्री व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली नम्बर से कम से फैट दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:52:19 IST
Reason: SelfAttested